[2024] 6 एस. सी. आर 86:2024 आईएनएससी 363

**शरीफ अहमद और एक अन्य**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**

(आपराधिक अपील संख्या 2357/2024)

1 मई 2024

**[न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी]**

**विचार के लिए मुद्दा**

अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का पर्याप्त विवरण दिए बिना या प्रासंगिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखे बिना राज्य/पुलिस द्वारा कुछ क्षेत्राधिकारों में दायर आरोप पत्रों की प्रकृति; मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के लिए, आरोपी को तलब करने आदि के लिए आरोप पत्रों का महत्व; अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही, यदि रद्द की जानी है।

**हेडनोट**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 173– विवेचना पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट– आरोप पत्र में साक्ष्य की प्रकृति और मानक – पूरा होने पर आरोप पत्रः**

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

अभिनिर्धारित किया गयाः धारा 173(8) के अनुसार “अतिरिक्त साक्ष्य” या “पूरक आरोपपत्र” की आवश्यकता एक पूर्ण आरोपपत्र में वृद्धि करने के लिए है, न कि उस आरोपपत्र की पूर्ति करने या दुरूस्त करने के लिए जो धारा 173(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है– आरोप पत्र तब पूरा होता है जब वह संज्ञान लेने और विचारण करने के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य का उल्लेख करता है– आरोप पत्र में स्पष्ट किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मानक को प्रथमदृष्टया यह दिखाना चाहिए कि अपराध स्थापित हो जाता है यदि सामग्री और साक्ष्य साबित हो जाते हैं– आरोप पत्र पूरा होता है जहां कोई मामला विशेष रूप से अतिरिक्त साक्ष्य पर निर्भर नहीं होता है और विचारण आरोप –पत्र के साथ अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर आगे बढ़ सकता है– यह मानक अत्यधिक तकनीकी या सीधा–सरल नहीं है, बल्कि निर्दोष को देरी के साथ–साथ लंबे समय तक कारावास के कारण उत्पीड़न से बचाने के लिए एक व्यावहारिक संतुलन है, और फिर भी आरोपों के समर्थन में आगे सबूत पेश करने के अभियोजन पक्ष के अधिकार को कम नहीं करता है– हालाँकि, आरोप–पत्र में साक्ष्य के विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया विचारण का विषय है– इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप पत्र में तथ्यों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए या उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए ताकि धारा 173(2) और राज्य नियमों के अधिदेश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके– पुलिस रिपोर्ट ही मजिस्ट्रेट को उपलब्ध विकल्पों में से कार्यवाही का रास्ता तय करने में सक्षम बनाएगी– अपराध और विवेचना का विवरण अभियोजन पक्ष के मामले का व्यापक शोध–प्रबंध नहीं माना जाता है, लेकिन साथ ही, इसमें कथित अपराध की गहन विवेचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए।– यह अभिलेख के आधार पर है कि अदालत अपराध का प्रभावी संज्ञान ले सकती है और सीआरपीसी की धारा 190(1)(बी) और धारा 204 के संदर्भ में

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

आदेशिका जारी करने के लिए आगे बढ़ सकती है।– विवेचना अधिकारी को आरोप पत्र में सभी कॉलम की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां करनी चाहिए ताकि अदालत स्पष्ट रूप से समझ सके कि कौन सा अपराध किस आरोपी द्वारा किया गया है और फाइल पर उपलब्ध भौतिक सबूत क्या है– संहिता की धारा 161 के तहत बयान और संबंधित दस्तावेजों को गवाहों की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए– अपराध में अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का आरोप पत्र में अलग से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ऐसा प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए– दाण्ड़िक अपील 2357/2024 में आरोपपत्र और समन आदेश को रद्द किया गया, अपीलकर्ताओं को उन्मोचित किया गया– एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9482/2021 में आरोपपत्र में विवरण और ब्यौरे नहीं होने के कारण, समन आदेश रद्द किया गया। [पैरा 13, 23, 24, 31, 40, 45]

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 173(2), 190, 204, 251– संज्ञान लेने, अभियुक्त को समन भेजने, नोटिस जारी करने, आरोप तय करने की प्रक्रिया का आरोप पत्र अभिन्न अंग हैः**

अभिनिर्धारित किया गयाः धारा 173(2) के अंतर्गत प्रस्तुत आरोपपत्र, धारा 190 के अंतर्गत संज्ञान, धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करना और अभियुक्त को सम्मन भेजना तथा उसके पश्चात धारा 251 के अंतर्गत नोटिस जारी करना या संहिता के अध्याय XVII के अंतर्गत आरोप के बीच एक अंतर्निहित संबंध है।– आरोप पत्र में दिए गए विवरणों का बाद के चरणों में प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है– आरोप पत्र संज्ञान लेने की प्रक्रिया, नोटिस जारी करने और आरोप तैयार करने के लिए अभिन्न है, जो उस चरण तक अदालत के लिए उपलब्ध एकमात्र जांच दस्तावेज और साक्ष्य है– आरोप पत्र में लगाए जा रहे अपराध के लिए ठोस कारण और आधार मजिस्ट्रेट के लिए यह मूल्यांकन करने के

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

लिए एक प्रमुख संसाधन हैं कि क्या संज्ञान लेने, कार्यवाही शुरू करने और फिर नोटिस जारी करने, आरोप तैयार करने आदि के लिए पर्याप्त आधार हैं। – हालाँकि, इन प्रावधानों को धारा 173 की उपधारा (8) के तहत विवेचना करने की पुलिस की शक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए, भले ही उन्होंने धारा 173 की उपधारा (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हो। [पैरा 20]

**उपेक्षा– अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का पर्याप्त विवरण दिए बिना या प्रासंगिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखे बिना आरोप पत्र दाखिल करनाः**

अभिनिर्धारित किया गयाः कुछ राज्यों में, आरोप पत्र में केवल एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित विवरणों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है, और फिर साक्ष्यों और सामग्री पर कोई स्पष्टीकरण दिए बिना यह बता दिया जाता है कि अपराध बनता है या नहीं।– उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित प्रारूप में, कॉलम 16 में विवेचना अधिकारी को मामले के संक्षिप्त तथ्यों को बताने की आवश्यकता होती है– उत्तर प्रदेश राज्य ने परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि संहिता में निहित जांच प्रावधानों और धारा 173 सीआरपीसी के संदर्भ में पुलिस विनियमों का विवेचना अधिकारियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा लगातार अनुपालन और पालन नहीं किया गया– आरोप पत्र में अपराध का प्रमुख विवरण प्रदान करने की आवश्यकता अनिवार्य है क्योंकि यह पुलिस नियमों के अनुच्छेद 122 के अनुसार है– इसी तरह के निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जारी किए गए थे कि विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण, जो विवेचना अधिकारी की राय बनाता है, आरोप पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए। [पैरा 2,30]

**दंड प्रक्रिया संहिता 1973– धारा 190, 204– मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान– आदेशिका जारी करना– "संज्ञान":**

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

अभिनिर्धारित किया गयाः यह उस समय को इंगित करता है जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही आरंभ करने के लिए अपराध का न्यायिक संज्ञान लेता है– यह कार्यवाही शुरू करने से अलग है– बल्कि, यह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है– इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट में कथनों को ध्यान में रखना होता है, और यह मूल्यांकन करना होता है कि क्या कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है– यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधारों पर विचार करने के समान नहीं है, क्योंकि दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं, इसका निर्धारण केवल विचारण के चरण में ही किया जा सकता है, संज्ञान के चरण में नहीं।– धारा 204 मजिस्ट्रेट को समन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बाध्य नहीं करती है और यह समन की वैधता तय करने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है– फिर भी, संहिता की आवश्यकता यह है कि समन तब जारी किया जाता है जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।– धारा 204 के अनुसार मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग सावधानी के साथ करना आवश्यक है, तब भी जब उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। [पैरा 16, 17]

**आपराधिक कानून– पुलिस विवेचना– उद्देश्य और प्रयोजन– पर चर्चा की गई। [पैरा 26]**

**अजमानती वारंट– धारा 323, 504, 506, 120 ख, 308, 325 दण्ड संहिता 1860 के तहत दाखिल आरोप पत्र– जमानतीय वारंट जारी किए गए– व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था– अजमानतीय वारंट जारी किए गए– उच्च न्यायालय ने आपराधिक**

*अस्वीकरण:*

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

**कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज कर दिया।**

अभिनिर्धारित किया गयाः अजमानतीय वारंट नियमित तरीके से जारी नहीं किए जा सकते हैं और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि जनता और राज्य के व्यापक हित की आवश्यकता न हो– हालांकि गैर–जमानती वारंट जारी करने के लिए दिशानिर्देशों का कोई व्यापक सेट नहीं है, इस अदालत ने कई मौकों पर कहा है कि गैर –जमानती वारंट तब तक जारी नहीं किए जाने चाहिए, जब तक कि आरोपी पर एक जघन्य अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, और कानून की प्रक्रिया से बचने या सबूतों के साथ छेड़छाड़/नष्ट करने की संभावना नहीं हो – एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9482/2021 से उद्भुत अपील में जारी किए गए गैर –जमानती वारंट को बरकरार रखने योग्य नहीं होने के कारण रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 46]

**दंड संहिता, 1860– धारा 406, 420, 503 के तहत अपराध– कब नहीं बनते हैं– चर्चा की गयी। [पैरा 36,37,39]**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 –धारा 205– व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था, यह दर्ज करते हुए कि तब तक जमानत प्राप्त नहीं की गई थी और जमानत प्राप्त करने से पहले व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है– औचित्यः**

अभिनिर्धारित किया गयाः सही नहीं है, क्योंकि संहिता के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति को प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद ही लागू होता है– व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति का उदारता से प्रयोग किया जाना चाहिए, जब तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी छूट की आवश्यकता होती है – धारा 205 में

***अस्वीकरणः***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, समन जारी करते समय अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, और उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है– जबकि संहिता के प्रावधानों को संपूर्ण माना जाता है, ऐसे मामले उत्पन्न होते हैं जहां संहिता शांत होती है और अदालत को ऐसा आदेश देना होता है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है– ऐसे मामलों में, आपराधिक अदालत को इस सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, कि प्रत्येक प्रक्रिया जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है, उसे अनुमेय के रूप में समझा जाता है, जब तक कि इसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से निषिद्ध नहीं दिखाया जाता है। [पैरा 47]

**आपराधिक कानून– दीवानी विवाद जिसमें दाण्ड़िक अपराध शामिल नहीं है – मजिस्ट्रेट का कर्तव्यः**

अभिनिर्धारित किया गयाः मजिस्ट्रेट को यह जांचने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि क्या मामले के तथ्यों से दीवानी या आपराधिक कृत्य का पता चलता है– परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के प्रयासों को जल्द ही विफल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि समन आदेश, या यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, आपराधिक कार्यवाही को गति देने के लिए गंभीर परिणाम देता है– दाण्ड़िक अभियोजन द्वारा दबाव डालकर दीवानी विवादों और दावों को निपटाने का कोई भी प्रयास जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। [पैरा 44]

## <u>उद्धृत केस लॉ</u>

डबलू कुजुर बनाम झारखंड राज्य [2024] 3 एससीआर 614: (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 269; के वीरस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

[1991] 3 एससीआर 189: (1991) 3 एससीसी 655; एचएन रिषभ और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य [1955] 1 एससीआर 1150: (1954) 2 एससीसी 934– पर अवलम्ब लिया गया।

तारा सिंह बनाम राज्य (1951) 1 एससीआर 729: एआईआर 1951 एससी 441; आर के डालमिया आदि बनाम दिल्ली प्रशासन [1963] 1 एससीआर 253: एआईआर 1962 एससी 1821; राज्य द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम हेमेंद्र रेड्डी और अन्य [2023] 7 एससीआर 134: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 515; भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और एक अन्य [1985] 3 एससीआर 942: (1985) 2 एससीसी 537; मीनू कुमारी और एक अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [2006] 3 एससीआर 1086: (2006) 4 एससीसी 359; भूषण कुमार और एक अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य [2012] 2 एससीआर 696: (2012) 5 एससीसी 424; आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य [1960] 3 एससीआर 388: एआईआर 1960 एससी 866; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य [1992] पूरक 3 एससीआर 735: 1992 पूरक (1) एससीसी 335; प्रकाश सिंह बादल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [2006] पूरक 10 एससीआर 197: (2007) 1 एससीसी 1; नरेंद्र कुमार अमीन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2015) 3 एससीसी 417; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर. एस. पाई और एक अन्य [2002] 2 एससीआर 889: (2002) 5 एससीसी 82; ज़किया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य [2022] 6 एससीआर 1: 2022 आईएनएससी 653; सत्य नारायण मुसादी और अन्य बनाम बिहार राज्य (1980) 3 एससीसी 152; अभिनंदन झा और अन्य बनाम दिनेश मिश्रा [1967] 3 एससीआर 668: एआईआर 1968 एससी 117; गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नाथलाल, एआईआर 1968 एससी 700; इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम एनईपीसी भारत

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

लिमिटेड और अन्य [2006] पूरक 3 एससीआर 704: (2006) 6 एससीसी 736; केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसपीई, एसआईयू (एक्स), नई दिल्ली बनाम डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता [1996] पूरक 3 एससीआर 360: (1996) 5 एससीसी 591; माणिक तनेजा और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य [2015] 1 एससीआर 156: (2015) 7 एससीसी 423; दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2023) 3 एससीसी 423; इंदर मोहन गोस्वामी और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य [2007] 10 एससीआर 847: (2007) 12 एससीसी 1; विकास बनाम राजस्थान राज्य [2013] 8 एससीआर 208: (2014) 3 एससीसी 321; मेनका संजय गांधी और एक अन्य बनाम रानी जेठमलानी [1979] 2 एससीआर 378: (1979) 4 एससीसी 167; पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद [2019] 15 एससीआर 134: (2020) 12 एससीसी 695; पोपुलर मुथैया बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक [2006] पूरक 3 एससीआर 100: (2006) 7 एससीसी 296– संदर्भित।

## **<u>अधिनियमों की सूची</u>**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1898; भारत का संविधान।

## **<u>मुख्य शब्दों की सूची</u>**

आरोप पत्र; पुलिस रिपोर्ट; विवरण/ब्यौरे के बिना आरोप पत्र; संज्ञान; अभियुक्त को तलब करना; पूर्ण आरोप पत्र; अतिरिक्त साक्ष्य; पूरक आरोप पत्र; आरोप तय करना; आदेशिका/नोटिस जारी करना; विवेचना अधिकारी की राय; गैर–

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

जमानतीय वारंट; जमानतीय वारंट; व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट; जघन्य अपराध, कानून की प्रक्रिया से बचना; सबूतों से छेड़छाड़/नष्ट करना; दीवानी विवाद जिसमें आपराधिक अपराध शामिल नहीं है ; दीवानी अपकृत्य/आपराधिक दुष्कृत्य।

**मामला निम्न से उत्पन्न**

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील संख्या 2357/2024

सीआरएलएमए संख्या 960/2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सह

दाण्डिक अपील संख्या 2359 और 2358 वर्ष 2024

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण सैयद मेहदी इमाम, मोहम्मद परवेज डबास, उज़मी जमील हुसैन, मुश्ताक अहमद खान, तबरेज अहमद, आमिर डबास, रउफ रहीम, अली असगर रहीम, सुश्री मीनाक्षी कालरा, साद शरीफ, प्रवीर सिंह, अनुराग मलिक, एस. एन. कालरा।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, एएजी, सर्वेश सिंह बघेल, अरुण प्रताप सिंह राजावत, आशीष मदान, सुश्री अनन्या साहू, सुश्री सौम्या शर्मा, आदर्श उपाध्याय, सुश्री शुभाली पाठक, सुश्री पल्लवी कुमारी, अमन

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

पाठक, दुष्यंत पाराशर, दिनेश पांडे, मनु पाराशर, राजेश श्रीवास्तव, गौरव वर्मा, नीरज दत्त गौर, संजय सिंह।

**उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**निर्णय**

**न्यायमूर्ति संजीव खन्ना**

उपरोक्त मामलों में अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपीलों की सुनवाई के दौरान जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, वे आपराधिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, और राज्य/पुलिस द्वारा कुछ क्षेत्राधिकारों में दायर आरोप पत्रों की प्रकृति से संबंधित हैं। सुविधा के लिए, हम निर्णय को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग कानूनी मुद्दे से संबंधित है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[1] की धारा 173(2) के संदर्भ में आरोप पत्र की अन्तर्वस्तु से संबंधित है। दूसरा भाग प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और हमारे निर्णय से संबंधित है।

**भाग I**

3. पहले भाग का मुद्दा अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का पर्याप्त विवरण दिए बिना या प्रासंगिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखे बिना आरोप पत्र दायर करने से संबंधित है। कुछ राज्यों में, आरोप पत्रों में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट[2] में उल्लिखित विवरणों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है और फिर साक्ष्यों और सामग्री पर कोई स्पष्टीकरण दिए बिना यह बता दिया जाता है कि अपराध बनता है या नहीं। इस

1 संक्षेप में "संहिता"

2 संक्षेप में "एफआईआर"

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

मुद्दे पर, **<u>डबलू कुजुर बनाम झारखंड राज्य</u>**[3] के मामले में इस अदालत का हालिया फैसला निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता हैः

> "17. अतः, धारा 173 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि विवेचना पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगेः—
>
> (i) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया हो–
>
> (क) पक्षकारों के नाम;
>
> (ख) सूचना की प्रकृति;
>
> (ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;
>
> (घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और, यदि हां, तो किसके द्वारा;
>
> (ड़) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;
>
> (च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया है और, यदि हां, तो प्रतिभू के साथ या उसके बिना;
>
> (छ) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है।
>
> (ज) क्या महिला की चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है जहां विवेचना दंड संहिता, 1860 की धारा 376, 376 क, 376 कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख या धारा 376 ड़ के तहत अपराध से संबंधित है।"

---

3 [2024] 3 एससीआर 614: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 269

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

(ii) यदि विवेचना के पूरा होने पर, पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत हो, तो प्रभारी पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 169 के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताएगा।

(iii) जब किसी मामले के संबंध में, जिस पर धारा 170 लागू होती है, रिपोर्ट भेजी जाती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को वे सभी दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण भेजेगा जिन पर अभियोजन पक्ष अवलम्ब लेने का प्रस्ताव करता है, जो अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए दस्तावेजों या उनके उद्धरणों से भिन्न हैं; तथा उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन भेजेगा जिनकी अभियोजन पक्ष अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का प्रस्ताव करता है।

(iv) आगे की विवेचना के मामले में, प्रभारी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजेगा और उपरोक्त उप पैरा (i) से (iii) में उल्लिखित विवरणों का भी पालन करेगा।"

4. डब्लू कुजुर (उपरोक्त) में निर्णय संहिता की धारा 157 को संदर्भित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि यदि प्राप्त जानकारी या अन्यथा पर, पुलिस स्टेशन के किसी अधिकारी के पास किसी अपराध के होने का संदेह करने का कारण है, जिसकी विवेचना करने के लिए उसे धारा 156 के तहत अधिकार दिया गया है, तो वह तुरंत उसकी रिपोर्ट अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इसके अलावा, वह व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करेगा या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विवेचना करने के लिए मौके पर कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा और

***अस्वीकरण:***
***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

यदि आवश्यक हो, तो अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए उपाय करेगा। इस तरह की रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रकृति की होती है। संहिता की धारा 169 के अनुसार, यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को प्रतिभू के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, यदि वह हिरासत में हो, और ऐसे व्यक्ति को निर्देश देगा कि जब भी आवश्यकता होगी, ऐसा व्यक्ति पुलिस रिपोर्ट[4] पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा।

5. संहिता की धारा 170 उन मामलों से संबंधित है जहां अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत या उचित आधार है। ऐसी स्थिति में उसे संहिता की धारा 173 (2) के तहत पुलिस रिपोर्ट या आरोप पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। **डब्लू कुजुर** (उपरोक्त) में संहिता की धारा 173 (2) पर स्पष्टीकरण देते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

> "12. हमारा सरोकार धारा 173(2) से अधिक है क्योंकि हमने पाया है कि विवेचना अधिकारी आरोप पत्र/पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उक्त

---

4 हम इस न्यायालय द्वारा सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 एससीसी 676 में व्यक्त किए गए विचार से स्पष्ट और सम्मानपूर्वक सहमत हैं, जिसने संहिता की धारा 170 की व्याख्या की है। उक्त धारा में प्रयुक्त 'अभिरक्षा' शब्द में पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा का विचार नहीं किया गया है, अन्यथा यह धारा अप्रिय और असंगत परिणामों की ओर ले जाएगी। यह देखा गया है कि सामान्य और साधारण रूप से, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने से बचना चाहिए, यदि पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी के बिना विवेचना पूरी करना संभव है और यदि आरोपी द्वारा विवेचना पूरी करने में विवेचना अधिकारी को हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाता है। धारा 170 में 'अभिरक्षा' शब्द की व्याख्या उदारता से की जानी चाहिए और केवल विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत करने को संदर्भित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गिरफ्तारी की शक्ति का अस्तित्व और उसके प्रयोग के लिए औचित्य दो अलग–अलग पहलू हैं। संहिता की धारा 170 प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करने से पहले या करते समय पर प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं लगाती है।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

प्रावधान की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं। हालाँकि यह सच है कि धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है और प्रत्येक राज्य सरकार के पास पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय पालन करने के लिए अपनी पुलिस नियमावली है, ऐसे अधिकारियों द्वारा पुलिस रिपोर्ट/आरोप पत्र में पालन करने के लिए आवश्यक अनिवार्य आवश्यकताओं को धारा 173, विशेष रूप से इसकी उप–धारा (2) में निर्धारित किया गया है।

13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि हालांकि विवेचना से पहले, दौरान और बाद में पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 में परिकल्पित है, यह केवल पुलिस अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप–धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है जो उस पर संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के लिए आधार बन सकता है। आरोप पत्र सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं है। यह संबंधित अदालत को विवेचना अधिकारी की एक राय या सूचना है कि विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर, एक अपराध विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है।

XX XX XX

15. धारा 173(2) सीआरपीसी के अनुपालन के संबंध में मुद्दे तब भी उठ सकते हैं, जब विवेचना अधिकारी केवल एफआईआर में नामजद कुछ व्यक्तियों–आरोपियों के संबंध में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है , अन्य

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

व्यक्तियों–आरोपियों के संबंध में जांच को खुला रखता है, या जब धारा 173(5) के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में, अदालत के समक्ष अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या ऐसी पुलिस रिपोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप–धारा (2) के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया कहा जा सकता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सत्य नारायण मुसादी बनाम बिहार राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट की वैधानिक आवश्यकता का पालन किया जाएगा यदि उसमें निर्धारित विभिन्न विवरण रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट पूरी हो जाती है यदि यह धारा 175(5) द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के साथ हो।..."

6. हम कुछ पहलुओं पर विस्तार से बताना चाहते हैं, क्योंकि आरोप–पत्र प्रस्तुत करना मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त का संज्ञान लेने और उसे तलब करने के लिए है, जो चरण काफी महत्वपूर्ण हैं।

7. संहिता की धारा 173 में निम्नानुसार कहा गया है:

"173. अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट– (1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।

[(1 क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।]

(2) (i)जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी:–

(क) पक्षकारों के नाम ;

(ख) इत्तिला का स्वरूप;

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम;

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है, तो किसके द्वारा;

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है;

(च) क्या वह अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंधपत्र प्रतिभुओं सहित हे या प्रतिभुओं रहित:

(छ) क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है :

(ज) जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45 ) की धारा 376, 376क, धारा 376ख, [धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ] के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।]

(ii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी, उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

(4) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है तब मजिस्ट्रेट उस बंधपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे।

(5) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ–साथ निम्नलिखित भी भेजेगा:–

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है;

(ख) उन सब व्यक्तियों के धारा 161 के अधीन अभिलिखित बयान, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

(7) जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है वहां वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है।

(8) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।”

8. धारा 173 की उपधारा (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[5] की धारा 173 की उपधारा (1) से विचलन रखती है। 1898 की संहिता की धारा 173 की उप-धारा (1)(क) में यह निर्धारित किया गया था कि जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट को स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें पक्षों के नाम, जानकारी की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों से परिचित लोगों के नाम भेजे जाएंगे और बताएगा कि क्या आरोपी व्यक्ति को हिरासत में भेजा गया है या मुचलके पर रिहा किया गया है।

9. **तारा सिंह बनाम राज्य**[6] और **आर. के. डालमिया आदि बनाम दिल्ली प्रशासन**[7] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर सुनवाई के दौरान लिए गए अवलम्ब को

5 संक्षेप में “1898 की संहिता”

6 [1951] 1 एससीआर 729: एआईआर 1951 एससी 441

7 [1963] 1 एससीआर 253: एआईआर 1962 एससी 1821

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

ध्यान में रखते हुए हमने 1898 की संहिता की धारा 173 का उल्लेख किया है, जो 1898 की संहिता को संदर्भित करती है और उससे संबंधित है।

10. **तारा सिंह** (उपरोक्त) के मामले में, जो सवाल उठा था वह यह था कि क्या पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान पूर्ण था ताकि अदालत 1898 की संहिता की धारा 190(1)(ख) के अर्थ के तहत संज्ञान ले सके। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त मामले में प्रस्तुत चालान इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और घटना के स्केच मानचित्र के चित्रांकन को छोड़कर पूरा था। इस संदर्भ में, 1898 की संहिता की धारा 173(1) का संदर्भ दिया गया था और यह कि रिपोर्ट/चालान में पक्षकारों के नाम, जानकारी की प्रकृति और उन व्यक्तियों के नाम दिए जाने चाहिए जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। यह माना गया कि संज्ञान उचित था।

11. **आर. के. डालमिया** (उपरोक्त) में, 1898 की संहिता की धारा 173(1) का फिर से संदर्भ दिया गया था और आरोप पत्र में पक्षों के नाम, जानकारी की प्रकृति और उन व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। ये टिप्पणियां अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों के संदर्भ में की गई थीं कि अभियोजन पक्ष के रुख में बदलाव आया था, जिसे कई आधारों पर खारिज कर दिया गया था, जैसा कि फुटनोट किए गए उद्धरण के पैराग्राफ 325 और 326 में उल्लेख किया गया है।

12. इसलिए विधान की भाषा से यह स्पष्ट है कि संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आरोप पत्र में विवरण प्रदान करने की आवश्यकता और तरीका सत्यापित है।

13. आवश्यक विवरणों के पूर्ण होने के प्रश्न को इस तरह से समझा जाना चाहिए जो संहिता की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र के सही आशय को प्रभावी

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

बनाता हो। संहिता की धारा 173 (8) के तहत संदर्भित "अतिरिक्त साक्ष्य" या "पूरक आरोप पत्र" की आवश्यकता, एक पूर्ण आरोप पत्र[8] में जोड़ने के लिए है और आरोप पत्र की पूर्ति या पुनर्निर्धारण करने के लिए नहीं है जो संहिता की धारा 173 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। आरोप–पत्र तब पूरा होता है जब यह संज्ञान लेने और विचारण के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य का उल्लेख करता है। आरोप–पत्र में स्पष्ट किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मानक को प्रथमदृष्टया यह दिखाना चाहिए कि यदि सामग्री और साक्ष्य साबित हो जाता है तो अपराध स्थापित हो जाता है। आरोप–पत्र पूरा हो जाता है जहाँ कोई मामला विशेष रूप से अतिरिक्त साक्ष्य पर निर्भर नहीं होता है। आरोप–पत्र के साथ साक्ष्य और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर विचारण आगे बढ़ सकता है। यह मानक अत्यधिक तकनीकी या सीधा–सरल नहीं है, बल्कि निर्दोष लोगों को देरी के साथ–साथ लंबे समय तक कारावास के कारण होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए एक व्यावहारिक संतुलन है और फिर भी अभियोजन पक्ष के आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य देने के अधिकार को कम नहीं करता है[9]।

14. वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में, संहिता की धारा 190 और धारा 204 को आरोप की अन्तर्वस्तु से संबंधित प्रावधानों अर्थात्, संहिता की धारा 211 से धारा 233 और धारा 218 के साथ संदर्भित करना उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार हैः

"**190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान–** (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है:–

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर;

---

8 राज्य द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो बनाम हेमेंद्र रेड्डी और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 515

9 संहिता की धारा 173(8) के तहत विवेचना करने की पुलिस की शक्ति पर नीचे दिए गए पैरा 21 को भी देखें।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है।

xx xx xx

**204. आदेशिका का जारी किया जाना–** (1) यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और–

(क) मामला समन–मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा ; अथवा

(ख) मामला वारंट–मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट, या यदि ठीक समझता है समन, जारी कर सकता है।

(2) अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है।

(3) लिखित परिवाद पर संस्थित कार्यवाही में उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

(4) जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेय है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती है और यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है।

(5) इस धारा की कोई बात धारा 87 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

xx xx xx

**211. आरोप की अंतर्वस्तु–** (1) इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है।

(2) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा।

(3) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया हो तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है।

(4) वह विधि और विधि की वह धारा, जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है, आरोप में उल्लिखित होगी।

(5) यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है।

(6) आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

(7) यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने पर किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषसिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोषसिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चात्वर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे; और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकेगा।

**212. समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां –** (1) अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के (यदि कोई हो) विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के (यदि कोई हो) विषय में वह अपराध किया गया उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जैसी अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी।

(2) जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, या अपराध करने की ठीक– ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना, यथास्थिति, उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का, जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है, विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा:

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय एक वर्ष से अधिक का न होगा।

**213. कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए–** जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, पर्याप्त सूचना नहीं देती तब उस रीति की, जिसमें अभिकथित अपराध किया गया, ऐसी विशिष्टियां भी, जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी।

xx xx xx

**218. सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप–** (1) प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक् आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक्तः किया जाएगा:

परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा, ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है।

(2) उपधारा(1) की कोई बात धारा 219, 220 221 और 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

15. पुलिस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर, **डबलू कुजुर** (उपरोक्त) ने **भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य**[10] में इस न्यायालय के पहले के एक फैसले का उल्लेख किया है तथा पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट की शक्ति और भूमिका और उसके पास उपलब्ध विकल्पों पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की है:

10 [1985] 3 एससीआर 942:(1985) 2 एससीसी 537

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

> "14. जब ऐसी पुलिस रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई अपराध किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट के पास तीन विकल्प होते हैंः (i) वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है और आदेशिका जारी कर सकता है, (ii) वह धारा 156 की उप–धारा (3) के तहत अतिरिक्त विवेचना का निर्देश दे सकता है और पुलिस से अतिरिक्त रिपोर्ट बनाने की मांग कर सकता है, या (iii) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है और अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है या कार्यवाही छोड़ कर सकता है। यदि ऐसी पुलिस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट के पास फिर से तीन विकल्प हैंः(i) वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही को छोड़ सकता है, या (ii) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकता है और यह विचार रख सकता है कि आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, अपराध का संज्ञान ले सकता है और आदेशिका जारी कर सकता है, या (iii) वह धारा 156 की उप–धारा (3) के तहत पुलिस द्वारा अतिरिक्त विवेचना करने का निर्देश दे सकता है।"

इसी संदर्भ में संहिता की धारा 190 और 204 के प्रावधान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धारा 190 के खंड (क) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट तथ्यों का परिवाद प्राप्त करने पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है जो ऐसे अपराध का गठन करता है। खंड (ख) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां मजिस्ट्रेट को ऐसे तथ्यों वाली पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती है, जो इस तरह के अपराध का गठन करती हैं। **मीनू कुमारी और एक अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**[11] के मामले में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 190(1)(ख) के अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख किया और कहा:

11 [2006] 3 एससीआर 1086:(2006) 4 एससीसी 359

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

“11... इसलिए, अब स्थिति अच्छी तरह से तय हो गई है कि धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 190 (1)(ख) के तहत अपराध का संज्ञान लेने का हकदार है, भले ही पुलिस रिपोर्ट इस प्रभाव की हो कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। मजिस्ट्रेट विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा परीक्षित किए गए गवाहों के बयानों को ध्यान में रख सकता है और शिकायत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकता है और अभियुक्त को आदेशिका जारी करने का आदेश दे सकता है। धारा 190 (1)(ख) में यह नहीं कहा गया है कि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान केवल तभी ले सकता है जब विवेचना अधिकारी यह राय दे कि विवेचना से आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। मजिस्ट्रेट विवेचना अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष को नजरअंदाज कर सकता है और स्वतंत्र रूप से विवेचना से सामने आने वाले तथ्यों पर अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सकता है और मामले का संज्ञान ले सकता है, यदि वह उचित समझता है, धारा 190(1)(ख) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अभियुक्त के खिलाफ आदेशिका जारी करने का निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में धारा 190 (1)(क) के तहत किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए संहिता की धारा 200 और 202 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि वह धारा 200 या धारा 202 के तहत भी कार्य कर सकता है।(भारत कैरेट (प्रा.) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य [(1989) 2 एससीसी 132 : 1989 एससीसी (सीआरआई) 306: एआईआर 1989 एससी 885]देखें।)

12. जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने और मामले पर आगे कार्यवाही करने का फैसला करता है तो सूचना देने वाला विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

है। लेकिन जहां मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि आगे कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है और कार्यवाही को छोड़ देता है या यह विचार रखता है कि कुछ के खिलाफ कार्यवाही के लिए सामग्री है और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपर्याप्त आधार हैं, तो सूचना देने वाला निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा क्योंकि दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पूरी तरह या आंशिक रूप से अप्रभावी हो जाती है। यह न्यायालय **भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त** के मामले में है इस न्यायालय ने माना कि जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को छोड़ने का निर्णय लेता है या यह विचार रखता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो सूचना देने वाले को नोटिस देना और मामले में सुने जाने का अवसर देना अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संहिता में इस संबंध में नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि संहिता में "आरोप पत्र" या "अंतिम रिपोर्ट" शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह कई राज्यों की पुलिस नियमावली में समझा जाता है जिसमें नियम और विनियम होते हैं जो संहिता की धारा 170 के तहत दायर पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट होती है, जिसे "आरोप पत्र" के रूप में वर्णित किया गया है। धारा 169 के तहत भेजी गई रिपोर्टों के मामले में, यानी जहां मजिस्ट्रेट को किसी मामले को अग्रेषित करने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसे विभिन्न रूप से संदर्भित आरोप, अंतिम रिपोर्ट या सारांश कहा जाता है। धारा 173 के संदर्भ में पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई विरोध जताने के लिए दिए जाने वाले किसी भी नोटिस का उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ पुलिस नियमावली के तहत जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि यह संहिता

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

की धारा 173 के तहत एक नोटिस है, लेकिन धारा 173 में विशेष रूप से इस तरह के नोटिस के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है।"

16. **भूषण कुमार और एक अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य**[12] के मामले में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 190 और 204 का उल्लेख करते हुए कहा है कि धारा 190 में "संज्ञान" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल "जागकारी होना" है, और जब इसका उपयोग किसी अदालत या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ "न्यायिक रूप से ध्यान देना" होता है। यह उस स्थिति को इंगित करता है जिस पर अदालत या मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से अपराध का न्यायिक नोटिस लेते हैं। यह कार्यवाही शुरू करने से अलग है। बल्कि, यह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट के कथनों को ध्यान में रखना होता है, और यह मूल्यांकन करना होता है कि क्या कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधारों पर विचार करने के समान नहीं है, क्योंकि क्या साक्ष्य दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह केवल विचारण के चरण में निर्धारित किया जा सकता है, न कि संज्ञान के चरण में। यह पहलू महत्वपूर्ण है और बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा जब हम **के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य**[13] में इस न्यायालय के निर्णय और उसमें उन टिप्पणियों की जांच करेंगे, जिन्हें अन्य निर्णयों में कई अवसरों पर संदर्भित किया गया है।

17. संहिता की धारा 204 मजिस्ट्रेट को सम्मन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए अनिवार्य नहीं करती है और यह समन की वैधता तय करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है। फिर भी, संहिता की आवश्यकता यह है कि सम्मन

12 [2012] 2 एससीआर 696: (2012) 5 एससीसी 424

13 [1991] 3 एससीआर 189: (1991) 3 एससीसी 655

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

तब जारी किया जाता है जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। जिस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है, उसे सम्मन जारी किया जाता है। जानबूझकर अवज्ञा करना भारतीय दंड संहिता, 1860[14] की धारा 174 के तहत दंडनीय है। निष्कर्ष के रूप में, संहिता की धारा 204 की भाषा और दंडात्मक परिणामों दोनों को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट को एक राय बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है कि क्या सम्मन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। यह तय करते समय कि क्या किसी व्यक्ति को समन जारी किया जाना है, मजिस्ट्रेट मामले में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथमदृष्टया असंभवता को ध्यान में रख सकते हैं। जिन मापदंडों पर समन आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है, वे **भूषण कुमार** (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले से अच्छी तरह से तय किए गए हैं। मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 204 के संदर्भ में अपने न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग कुछ हद तक सावधानी के साथ करना आवश्यक है, भले ही इस पर उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता न हो कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। आपराधिक अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में आम तौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जब तक कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक न हो।[15]

18. **भूषण कुमार** (उपरोक्त) में निर्णय संहिता की धारा 251 को भी संदर्भित करता है, जो अभियुक्त की उपस्थिति के बाद एक मंच है, और यह बताता है:

> "20. संहिता की धारा 251 में यह अंतर्निहित है कि जब कोई आरोपी समन विचारण मामले में संहिता की धारा 204 के तहत जारी समन के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो यह विचारण

14 संक्षेप में "आईपीसी"।

15 आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 पूरक (1) एससीसी 335

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह आरोप–पत्र या परिवाद में लगाए गए आरोपों को सावधानीपूर्वक देखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य पर विचार करे कि क्या किसी अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं और यदि जवाब सकारात्मक है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप के सार के बारे द्वारा बताएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह दोषिता को स्वीकार करता है अन्यथा, वह संहिता की धारा 239 के अनुसार आरोपी को उन्मोचित करने के लिए बाध्य है।"

19. संहिता की धारा 211 से 213 और धारा 218 आरोप की अन्तर्वस्तु से संबंधित हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य और प्रयोजन अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को उसके संज्ञान में लाना है। इन आरोपों को प्रमुख साक्ष्यों से साबित और स्थापित करना होगा। अभियुक्त को आश्चर्यचकित या अनजान नहीं होना चाहिए ताकि उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो। संहिता के प्रावधानों में यह भी निर्धारित किया गया है कि– संहिता की धारा 214 के संदर्भ में आरोप में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या कैसे की जाए, संहिता की धारा 215 के संदर्भ में आरोप में दोषों का प्रभाव, आरोप में बदलाव करने की अदालत की शक्ति और संहिता की धारा 216 और 217 के संदर्भ में आरोप में बदलाव होने पर गवाहों को वापस बुलाना।

20. संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत प्रस्तुत आरोपपत्र, संहिता की धारा 190 के अंतर्गत लिया गया संज्ञान, संहिता की धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करना और अभियुक्त को समन करना तथा उसके बाद संहिता की धारा 251 के अंतर्गत नोटिस जारी करना या संहिता के अध्याय XVII के संदर्भ में आरोप के बीच एक अंतर्निहित संबंध है। आरोप–पत्र में दिए गए विवरणों का बाद के चरणों में प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आरोप पत्र संज्ञान लेने की प्रक्रिया, नोटिस जारी करने और आरोप तय करने के लिए

***अस्वीकरण:***
***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

आवश्यक घटक है, जो उस चरण तक अदालत के पास उपलब्ध एकमात्र विवेचना दस्तावेज और सबूत है। आरोप–पत्र में लगाए जा रहे अपराध के लिए ठोस कारण और आधार एक मजिस्ट्रेट के लिए यह मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख स्रोत हैं कि क्या संज्ञान लेने, कार्यवाही शुरू करने और फिर नोटिस जारी करने, आरोप तैयार करने आदि के लिए पर्याप्त आधार हैं।

21. हालाँकि, इन प्रावधानों को संहिता की धारा 173 की उप–धारा (8) के तहत विवेचना करने की पुलिस की शक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए, भले ही उन्होंने संहिता की धारा 173 की उप–धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हो। पुलिस के पास अतिरिक्त दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने की भी शक्ति है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[16]**; नरेंद्र कुमार अमीन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य**[17]**; और केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर. एस. पाई और अन्य**[18] में माना गया है।

22. हाल ही में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[19] में निम्न टिप्पणी की है:

> "11. दयाल सिंह के मामले में इस अदालत ने कहा कि विवेचना अधिकारी अपने दृष्टिकोण और विवेचना में मेहनती, सच्चे और निष्पक्ष रहते हुए पुलिस नियमावली और व्यवहार के ज्ञात नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। रिपोर्ट किए गए निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि एक विवेचना अधिकारी अपनी विवेचना को पूरा करने में अपनाए गए तरीके और कार्यप्रणाली के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। यह

---

16 [2006] अनुपूरक 10 एससीआर 197: (2007) 1 एससीसी 1

17(2015) 3 एससीसी 417

18 [2002] 2 एससीआर 889: (2002) 5 एससीसी 82

19 [2022] 6 एससीआर 1: 2022 आईएनएससी 653

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

स्वीकार किया जाता है कि विवेचना पूरी होने पर, विवेचना अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना, उसमें निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट को निर्धारित विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर विवेचना अधिकारी द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष है। विवेचना अधिकारी का कर्तव्य है कि वह विवेचना के दौरान प्रत्येक प्रासंगिक सूचना/सामग्री को एकत्रित करे, जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि वह वास्तविक घटनाक्रम है तथा कथित अपराध के घटित होने तथा उसमें शामिल व्यक्ति के बारे में सही तथ्य प्रस्तुत करता है। उनसे सभी कोणों से सामग्री की जांच करने की उम्मीद की जाती है। यदि पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है कि कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, तो विवेचना अधिकारी उस संबंध में अपनी राय दर्ज करने के लिए बाध्य है, जैसा कि संहिता की धारा 173 (2) (i)(घ) द्वारा आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, यदि विवेचना अधिकारी अभियुक्त को विचारण के लिए भेजने का आशय रखता है, तो वह न केवल अपराध करने के बारे में, बल्कि अपराध करने में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में भी एक दृढ़ राय बनाने के लिए बाध्य है।

12. इस तरह की राय विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के विश्लेषण की अंतिम परिणति है– कि आरोपी के खिलाफ "दृढ़ संदेह" है, जो अंततः संबंधित न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि यह "अनुमान लगाने" के लिए एक आधार है कि आरोपी ने "कथित अपराध किया है; और यह केवल संदेह का मामला नहीं है। दृढ़ संदेह का मामला होने के लिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

सामग्री मौजूद होनी चाहिए; और यह इस तरह का होना चाहिए कि यह संबंधित न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने में सुविधा प्रदान करे और अंततः उसे यह सोचने (राय बनाने) के लिए प्रेरित करे कि "यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है", जैसा कि आरोप लगाया गया है– ताकि संहिता की धारा 228(1) या 246(1) के संदर्भ में उसके खिलाफ आरोप लगाया जा सके, जैसा भी मामला हो। अपराध का संज्ञान लेने या अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए, न्यायालय को विवेचना अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट और उससे जुड़ी सभी सामग्रियों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर एक स्वतंत्र प्रथमदृष्टया राय बनानी चाहिए कि क्या "यह मानने" के लिए आधार है कि अभियुक्त ने "अपराध किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।(यह अपराध करने का "हो सकता है" या "होने की संभावना" जैसा नहीं है, बल्कि यह मानने का आधार है कि उसने अपराध किया है)। आदेशिका में मजिस्ट्रेट को विवेचना अधिकारी की राय को उचित महत्व देना पड़ सकता है। यदि विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट का अंतिम परिणाम ऐसा होना है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है यदि वह विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के बारे में राय बनाने के लिए उसी मानक को लागू करता है और संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में इसे स्पष्ट करता है। रमेश सिंह और आई.के. नांगिया के मामले सहित अफरोज मोहम्मद हसनफता में दिए गए निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है।

xx xx xx

63. यह रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि जांच एजेन्सी के पास आने वाली हर जानकारी को प्रासंगिक माना जाना चाहिए। हालांकि, जांच एजेंसी से ऐसी जानकारी की प्रामाणिकता के बारे में जांच करने की उम्मीद

***अस्वीकरण:***
***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

की जाती है और ऐसा करने के बाद उसे इसके समर्थन में पुष्टिकारक साक्ष्य एकत्र करना चाहिए। पुष्टि करने वाले साक्ष्य की अनुपस्थिति में, यह केवल संदेह का मामला होगा और गंभीर संदेह पैदा नहीं करेगा, जो संदिग्ध को विचारण के लिए भेजने के लिए पूर्व–आवश्यकता है। संहिता की धारा 173 (2)(i)(d) में अधिदेश है, जिसमें कहा गया है कि विवेचना अधिकारी को अपनी रिपोर्ट में यह इंगित करना चाहिए कि क्या कोई अपराध किया गया है और यदि ऐसा है, तो किसके द्वारा किया गया है। विवेचना/जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर गठित विवेचना अधिकारी की राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यह केवल सीमा होगी, ताकि संबंधित न्यायालय अपराध का सज्ञान ले सके और फिर आरोप तय कर सके यदि यह राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने संहिता के अध्याय XIX के तहत विचारणीय अपराध किया है।"

23. **के. वीरास्वामी** (उपरोक्त) में, न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी ने आरोप पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रश्न पर स्वयं और न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया(जैसा कि उस समय न्यायमूर्ति थे) की ओर से फैसला सुनाया और कहाः

"75. खंड (ड़) के तहत बनाए गए अपराध की प्रकृति के बारे में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में, अपराध के घटक से संबंधित विवाद की जांच करना आवश्यक नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि आरोप–पत्र की वैधता पर सवाल उठाया गया है, इसलिए हम उस तर्क पर भी विचार करेंगे। अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 5 (1) के खंड (ड़) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता" पर बहुत जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उस शब्द का अर्थ है कि लोक सेवक संपत्ति और आय के ज्ञात स्रोतों के बीच कथित

***अस्वीकरण:***
***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

असमानुपात को समझाने के लिए विवेचना अधिकारी के समक्ष एक अवसर प्राप्त करने का हकदार है। विवेचना अधिकारी को अपने स्पष्टीकरण पर विचार करना आवश्यक है और उसके द्वारा दायर आरोप–पत्र में ऐसा कथन होना चाहिए। उस आवश्यकता का उल्लेख करने में विफलता आरोप–पत्र को दूषित कर देगी और इसे अमान्य कर देगी। हम ऐसा कह सकते हैं, यह दलील विवेचना अधिकारी की शक्तियों की पूरी तरह से अनदेखा करती है। विवेचना अधिकारी को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होती है कि क्या कथित अपराध किया गया प्रतीत होता है। विवेचना के दौरान, वह अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है। वह अपना स्पष्टीकरण मांग सकता है और यदि आवश्यक हो तो वह अपनी आय और संपत्ति के ज्ञात स्रोतों के बारे में उससे पूछताछ कर सकता है। जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री ए. डी. गिरि ने ठीक ही कहा है कि वास्तव में, निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता है कि अभियुक्त को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह सहयोग करने को तैयार है तो उसे विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन यह कहना कि सभी सामग्रियों को एकत्र करने के बाद विवेचना अधिकारी को आरोपी को एक अवसर देना चाहिए और उसे आय के ज्ञात स्रोतों पर संपत्ति की अधिकता का लेखा देने के लिए कहना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि लेखा संतोषजनक है या नहीं, विवेचना अधिकारी को जांच अधिकारी या न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करना होगा। विवेचना अधिकारी लोक सेवक के आचरण के खिलाफ जाँच नहीं कर रहा है या अभियुक्त की संपत्ति और आय के बीच अनुपातहीनता के संबंध में विवादित मुद्दों का निर्धारण नहीं कर रहा है। वह केवल सभी पक्षों से सामग्री एकत्र करता है और एक रिपोर्ट

*अस्वीकरण:*

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

तैयार करता है जिसे वह आरोप–पत्र के रूप में अदालत में दाखिल करता है।”

उपर्युक्त पैराग्राफ का उत्तरार्द्ध भाग, अपराध के विवरण तथा बाद के चरण (विचारण के चरण) में स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए उन्हें साबित करने की आवश्यकता का उल्लेख करता है, जिसे इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि आरोपपत्र में साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया विचारण का विषय है। इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप–पत्र को संहिता की धारा 173 (2) और राज्य के नियमों के अधिदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथ्यों का खुलासा या उल्लेख नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, उसी पैराग्राफ के पहले वाले हिस्से में, विवेचना अधिकारी की राय का उल्लेख करते हुए, इस स्तर पर विवेचना अधिकारी की राय के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। हालाँकि, यह मजिस्ट्रेट को ऐसी राय से स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकता है, जैसा किं इस न्यायालय द्वारा भगवत सिंह (उपरोक्त) और मीनू कुमारी (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है।

24. पुलिस रिपोर्ट ही मजिस्ट्रेट को उपलब्ध विकल्पों में से कार्यवाही की योजना तय करने में सक्षम बनाती है। अपराध और विवेचना का विवरण अभियोजन मामले का एक व्यापक थीसिस नहीं माना जाता है, लेकिन साथ ही, इसे कथित अपराध की गहन जाँच को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए। इस अभिलेख के आधार पर ही न्यायालय अपराध का प्रभावी संज्ञान ले सकता है और संहिता की धारा 190 (1)(ख) और धारा 204 के संदर्भ में आदेशिका जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है। संदेह या विचार–विमर्श के मामले में, या यदि कोई अपराध नहीं बनता है, तो मजिस्ट्रेट को उसके पास उपलब्ध अन्य उपायों का प्रयोग करने का विकल्प है।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

25. अपने तर्क के समर्थन में, हम के. वीरास्वामी (उपरोक्त) के मामले में न्यायमूर्ति जे. शेट्टी के निर्णय के अगले पैराग्राफ का उल्लेख करेंगे जो निम्नानुसार है:

> "76. आरोप–पत्र और कुछ नहीं बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट है। धारा 173 (2) में प्रावधान है कि विवेचना पूरी होने पर संज्ञेय अपराध की विवेचना करने वाला पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए और उसमें निम्न कथन होनें चाहिए – (क) पक्षकारों के नाम; (ख) जानकारी की प्रकृति; (ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं; (घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और, यदि हां, किसके द्वारा; (ड़) क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है; (च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया था और, यदि हां, तो प्रतिभू के साथ या बिना; और (छ) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने सत्य नारायण मुसादी बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा कि धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट की वैधानिक आवश्यकता का पालन किया जाएगा यदि उसमें निर्धारित विभिन्न विवरण रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को एक सूचना है कि एक संज्ञेय अपराध की विवेचना करने पर विवेचना अधिकारी अदालत को अपराध की जांच करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने में समर्थ हो गया है और आवश्यक जानकारी अदालत को भेजी जा रही है। वास्तव में, धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट का तात्पर्य विवेचना अधिकारी की राय है कि जहां तक उनका संबंध है, वह अदालत द्वारा आरोपी के विचारण के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने में समर्थ रहा है। रिपोर्ट तब पूरी होती है जब यह धारा 175 (5) द्वारा

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

आवश्यक सभी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के साथ होती है। विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि अपराध के सभी विवरण बताए जाने चाहिए। अपराध के विवरण को बाद में, अर्थात् मामले की सुनवाई के दौरान, स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके, अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने के लिए साबित करना आवश्यक है।

यह पैराग्राफ आरोप पत्र की अन्तर्वस्तु की जांच करता है और इस पर विस्तार से विचार करने पर पाया गया कि यह संहिता की धारा 173(2) के प्रावधानों के साथ–साथ दंडात्मक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके आगे, **सत्य नारायण मुसदी और अन्य बनाम बिहार राज्य**[20] का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि आरोप–पत्र को वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और उसमें निर्धारित विभिन्न विवरणों को रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

26. पुलिस जाँच का उद्देश्य और प्रयोजन अनेक/कई सारे है। इसमें तथ्यों का पता लगाने के लिए पारदर्शी और स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करना, यह पता लगाना कि अपराध हुआ है या नहीं, यदि अपराध हुआ है तो अपराधी की पहचान करना और एकत्र किए गए साक्ष्य को अदालत के सामने रखना शामिल है, जिसकी सत्यता और शुद्धता पर अदालत द्वारा निर्णय लिया जाता है।

27. **एच. एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य**[21] के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि विवेचना की प्रक्रिया में आम तौर पर निम्न चीजें शामिल होती हैंः 1) संबंधित स्थान पर जाना, 2) तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना, 3) खोज और गिरफ्तारी, 4) साक्ष्य एकत्र करना जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की परीक्षा, स्थानों की तलाशी और चीजों को जब्त करना शामिल है, और 5)

20 (1980) 3 एससीसी 152

21 [1955] 1 एससीआर 1150: (1954) 2 एससीसी 934

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

इस बारे में राय बनाना कि क्या कोई अपराध बनता है और तदनुसार आरोप पत्र दाखिल करना। इसलिए राय का गठन कई चरणों की परिणति है जिनसे एक विवेचना होकर गुजरती है। इस न्यायालय ने **अभिनंदन झा एवं अन्य बनाम दिनेश मिश्रा**[22] के मामले में अपने निर्णय में कहा है कि आरोपपत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना गठित राय की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो विवेचना का अंतिम चरण है।

28. अंतिम रिपोर्ट इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए और कानून का उल्लंघन की पर्याप्त विशिष्टता और स्पष्टता दिखानी चाहिए, जिसका आरोप लगाया गया है। जब रिपोर्ट उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, तो संबंधित अदालत को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि वह संज्ञान ले या नहीं और आरोपी को समन जारी करके आगे कार्यवाही करे या नहीं। ऐसा करते समय, अदालत संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान और विवेटना अधिकारी द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों को ध्यान में रखेगी।

29. तथ्यों और साक्ष्य का पता लगाने में उत्पन्न होने वाली किसी भी संदेह या अस्पष्टता के मामले में, मजिस्ट्रेट, संज्ञान लेने से पहले, विवेचना अधिकारी से स्पष्टीकरण और बेहतर विवरण देने की मांग कर सकता है और अतिरिक्त विवेचना का आदेश दे सकता है या संहिता की धारा 202 के संदर्भ में बयान दर्ज करने के लिए कह सकता है।

30. हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित प्रारूप की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कॉलम 16 के अनुसार विवेचना अधिकारी को मामले के संक्षिप्त तथ्यों को बताने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य ने दिनांक 19.09.2023 का एक परिपत्र जारी किया है, जो दिनांक 20.10.2016 के पहले के परिपत्र संख्या 59/2016 को संदर्भित करता है, और यह कहता है कि संहिता की धारा 173 के संदर्भ में संहिता और पुलिस विनियमों

22 [1967] 3 एससीआर 668: एआईआर 1968 एससी 117

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

में निहित अन्वेषण के प्रावधानों का विवेचना अधिकारियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा लगातार पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप –पत्र में अपराध का मुख्य विवरण प्रदान करने की आवश्यकता अनिवार्य है क्योंकि यह पुलिस विनियमों के पैराग्राफ 122 के अनुसार है। इसी तरह के निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 09.09.2022 को जारी किए गए थे कि विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण, जो विवेचना अधिकारी की राय बनाता है, आरोप पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।

31. इसलिए विवेचना अधिकारी को आरोप पत्र में सभी कॉलम की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां करनी चाहिए ताकि अदालत स्पष्ट रूप से समझ सके कि कौन सा अपराध किस आरोपी द्वारा किया गया है और फाइल पर उपलब्ध सारवान साक्ष्य क्या है। संहिता की धारा 161 के तहत बयान और संबंधित दस्तावेजों को गवाहों की सूची के साथ संलग्न करना होगा। अपराध में अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का आरोप पत्र में प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति के लिए अलग से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

**भाग II**

32. जब हम अपने निर्णय के दूसरे भाग की ओर चलते हैं, तो प्रत्येक मामले में हमारे निर्णय को उसके प्रासंगिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रस्तुत करना उचित होगा:

**क. एसएलपी (आपराधिक) संख्या 1074/2017 से उत्पन्न अपील**

● अपीलकर्ता संपत्ति संख्या 80–ए, 23,072 वर्ग फुट, जो खसरा संख्या 1016/647 और 645 का एक भाग है, के स्वामित्व को लेकर कई पक्षों के साथ

*अस्वीकरण:*
*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

एक लम्बी मुकदमेबाजी में शामिल रहे हैं, जो चंद्रावली/शाहदरा में स्थित है, जो अब आबादी में सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली– 110032 में है।[23]

● अपीलकर्ता संख्या 2–शरीफ अहमद और अपीलकर्ता संख्या 3–अनवर अहमद (अब मृत) ने अपनी साझेदारी फर्म ड्रीम लैंड एंड कंपनी की ओर से विषय संपत्ति में एक हिस्सा खरीदा, जबकि अपीलकर्ता संख्या 1– वकील अहमद (अब मृत) ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसा किया था।

● नीरसता से बचने के लिए, हम मुकदमे के तथ्यों को विस्तार से बताने से बचेंगे।

● हमारे समक्ष चुनौती प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108/2016 दिनांक 23.05.2016 से संबंधित है, जो प्रत्यर्थी संख्या 2/परिवादी मोहम्मद इकबाल द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ पुलिस स्टेशन हाफिजपुर, हापुड़, उत्तर प्रदेश में धारा 420, 406 और 506 आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया है कि अपीलकर्ता विषय संपत्ति को प्रत्यर्थी संख्या 2 को बेचने के लिए सहमत हुए थे और विषय संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आंशिक भुगतान प्राप्त किया था। हालाँकि अपीलकर्ताओं ने संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं की और प्रत्यर्थी संख्या 2 को संबंधित राशि वापस करने में भी विफल रहे।

● पुलिस ने संहिता की धारा 161 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 और गवाहों के बयान दर्ज किए।

● इन बयानों के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने बार–बार अनुरोध करने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने से इनकार कर दिया था।

---

23 संक्षेप में "विषय संपत्ति"।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

● अपीलार्थियों के रिश्तेदारों द्वारा उनके जान की धमकी मिलने के कारण पुलिस स्टेशन तीस हजारी में प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ दिनांक 03.09.2016 की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

● अपीलकर्ताओं ने एफआईआर संख्या 108/2016 को रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 20221/2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। 15.09.2016 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल होने तक अपीलकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

● दिनांक 24.10.2016 को अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 405 एवं 506 आईपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

● अपीलकर्ताओं ने दाण्डिक एम.ए. संख्या 960/2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वाद संख्या 410/2016 में आरोपपत्र और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। अपीलकर्ताओं ने कहा कि आरोपपत्र अस्पष्ट है, उचित विवेचना के बिना दायर किया गया है और किसी भी अपराध को साबित करने में विफल रहा है।

● इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.01.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा से आरोप पत्र को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया।

● इसलिए अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

33. धमकी के सवाल पर दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि 19.03.2016 को अपीलकर्ताओं ने पैसे वापस करने से साफ़ इनकार कर दिया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 से कहा था कि वे जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने परिवादी के पूरे परिवार को धमकी दी थी।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

34. वर्तमान मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कॉलम 16 के तहत प्रस्तुत आरोप पत्र निम्नानुसार हैः

> "महोदय, उपरोक्त मामला परिवादी श्री इकबाल द्वारा इस पुलिस स्टेशन में 23/5/16 को दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना मुझे एस. आई. को सौंपी गई थी, जिसकी विवेचना मुझ एसआई द्वारा की गई थी और अब तक की सारी विवेचना से, परिवादी का बयान, गवाहों का बयान और घटना स्थल का निरीक्षण, सदर पुलिस स्टेशन के पीछे 2600 माप के भूखंड के सौदे को आरोपी व्यक्तियों द्वारा परिवादी और उसके साथी सुरेंद्र शर्मा के साथ 4 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया गया था, जिसके लिए परिवादी के समय उसकी रजिस्ट्री को निष्पादित नहीं करके और उसके साथी सुरेन्द्र शर्मा से अग्रिम धन के रूप में 1 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने के बाद, कुसुम जैन और डी. के. जैन को भूखंड बेचते हुए, परिवादी और उसके साथी के 1 करोड़ रुपये वापस नहीं किए, विश्वास भंग करके हड़पना, बार–बार मांग करने पर बहाना बनाना और जान से मारने की धमकी देना, इसलिए धारा 406, 506 आईपीसी के तहत आरोपी व्यक्तियों शरीफ अहमद, अनवर अहमद, वकील अहमद, आदिल अहमद पर अपराध पूरी तरह से साबित होता है, धारा 420 आईपीसी की घटना नहीं पाई गई है, इसलिए आरोप पत्र संख्या 153/16 द्वारा आरोपी व्यक्तियों का चालान अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, यह प्रार्थना की जाती है कि सबूत मांगकर सजा दी जाये।"

35. इसे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि यह प्रत्यर्थी संख्या 2–इकबाल द्वारा एक भूखंड के सौदे के संबंध में 23.05.2016 को किए गए परिवाद को संदर्भित करता है, जिसके संबंध में अग्रिम धन के रूप में आंशिक प्रतिफल की राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने भूखंड बेच दिया

***अस्वीकरणः***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

और बकाया राशि वापस नहीं कर रहे थे और ऐसा करके उन्होंने आईपीसी की धारा 406 के तहत भंग किया है। इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पैसे मांगने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी उल्लेख किया गया है। यह भी दर्ज किया गया है कि धारा 506 के तहत अपराध साबित हुआ है। साथ ही, आरोप पत्र में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है।

36. आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, जिसका निहितार्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को सौंप रहा है या जिसकी ओर से संपत्ति सौंपी गई है, वह उक्त संपत्ति का मालिक बना हुआ है। इसके अलावा, संपत्ति सौंपने वाले व्यक्ति को संपत्ति लेने वाले व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए ताकि उनके बीच एक वैश्वासिक संबंध बनाया जा सके। बिक्री या धन के आदान–प्रदान/प्रतिफल का एक सामान्य लेन–देन समर्पण के समान नहीं है।[24] स्पष्ट रूप से, आईपीसी की धारा 406 का आरोप/अपराध दूर–दूर तक भी नहीं बनता है।

37. आरोप पत्र में कहा गया है कि धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के लिए बेईमान प्रलोभन, प्रलोभन के परिणामस्वरूप संपत्ति का परिदान और इस तरह से प्रेरित व्यक्ति को नुकसान या क्षति की आवश्यकता होती है। धोखाधड़ी का अपराध तब स्थापित होता है जब संविदा या करार किए जाने के समय बेईमानी का आशय मौजूद होता है, क्योंकि धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक घटक में किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को परिदत्त करने के लिए धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी का

24 आईपीसी की धारा 405 और गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नाथालाल एआईआर 1968 एससी 700; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एससीसी 736; केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसपीई, एसआईयू (एक्स), नई दिल्ली बनाम डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता (1996) 5 एससीसी 591 में इस न्यायालय के निर्णय देखें।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

प्रलोभन शामिल होता है, ऐसा कुछ भी करना या लोप करना जो वह नहीं करता या लोप नहीं करता यदि उसे धोखा नहीं दिया गया होता। विवेचना अधिकारी के अनुसार, करार किए जाने के समय कोई धोखाधड़ी और बेईमानी का प्रलोभन नहीं बनता है या स्थापित नहीं होता है।

38. आपराधिक धमकी का अपराध तब उत्पन्न होता है जब आरोपी पीड़ित को धमकाने का आशय रखता है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित डरा हुआ है या नहीं। अभियुक्त के धमकाने के आशय को अभिलेख पर साक्ष्य लाकर स्थापित किया जाना चाहिए। 'धमकी' शब्द का अर्थ डराना या भयभीत करना है, विशेष रूप से: धमकी देकर मजबूर करना या रोकना।[25] आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामजद व्यक्ति द्वारा दी गई धमकी, पीड़ित के मन को प्रभावित करने के उद्देश्य से उसे धमकाने के लिए कही और बताई जानी चाहिए। 'धमकी' शब्द का अर्थ दूसरे को दंड, हानि या दर्द पहुँचाने के इरादे से है। चोट पहुँचाने में अवैध कार्य करना शामिल है।

39. **माणिक तनेजा और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य**[26] में इस न्यायालय ने धारा 506 का उल्लेख किया था जो आईपीसी की धारा 503 में परिभाषित 'आपराधिक धमकी' के अपराध के लिए सजा निर्धारित करता है, यह देखने के लिए कि धारा 503 के तहत अपराध के लिए आवश्यक है कि किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी देने का कार्य होना चाहिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है। यह धमकी, धमकी दिए गए व्यक्ति को भयभीत करने या ऐसा कोई कार्य करने के इरादे से होनी चाहिए जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या ऐसा कार्य करने से लोप होना चाहिए जिसे करने का वह हकदार है।

25 "धमकी" मेरियल–बेबस्टर.कॉम। मेरियम–बेबस्टर, 2024

26 [2015] 1 एससीआर 156: (2015) 7 एससीसी 423

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

भयभीत करने के इरादे के बिना किसी शब्द की अभिव्यक्ति मात्र आईपीसी की धारा 506 के तहत अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सामग्री और साक्ष्य को यह दिखाने के लिए अभिलेख पर रखा जाना चाहिए कि धमकी परिवादी को भयभीत करने या उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करने या कोई कार्य करने से रोकने के इरादे से दी गई थी। वैधानिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, धारा 506 के तहत अपराध नहीं दिखाया गया है, भले ही हम आरोप को सही मान लें।

40. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम आरोप पत्र और समन आदेश को रद्द करते हैं। अपीलार्थियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि ऊपर की गई टिप्पणियों का दीवानी कार्यवाही, यदि कोई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले से ही शुरू की गई है या जो प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा भविष्य में शुरू की जा सकती है।

**ख. एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5419/2022 से उत्पन्न अपील**

● 26.06.2019 को परिवादी–वकील अहमद ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता–इमरान सहित आरोपी व्यक्ति नियमित रूप से संपत्ति के बैनामा के बहाने पैसे लेते हैं और बाद में इस तरह के करार को करने और कोई भी पैसा प्राप्त करने से इनकार करते हैं।

● अदालत ने उक्त परिवाद को स्वीकार कर लिया और संबंधित पुलिस स्टेशन को आईपीसी की धारा 420 और 120 ख के तहत परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर संख्या 519/2019 को दिनांक 26.07.2019 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। परिवादी ने यह

*अस्वीकरण:*
*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

भी कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों ने परिवादी को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ धमकी दी थी।

● दिनांक 19.09.2019 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और पुलिस को निर्देश दिया कि वह आरोप पत्र प्रस्तुत होने तक अपीलकर्ता को गिरफ्तार न करे।

● आईपीसी की धारा 420 और 120ख के तहत आरोप पत्र संख्या 582/2019 को दिनांक 18.10.2019 को दाखिल किया गया था। आरोप–पत्र में अभियुक्त के विवरण को सूचीबद्ध किया गया है जैसा कि प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है और आरोप–पत्र में संक्षिप्त तथ्यों से संबंधित प्रासंगिक कॉलम में निम्न लिखा हैः

> "माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि 28.07.2019 को माननीय न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत निम्न व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120ख के तहत प्राथमिकी संख्या 519/2019 दर्ज करने का आदेश दिया था–
>
> 1. जियाउद्दीन पुत्र ग्यासुद्दीन आयु लगभग 70 वर्ष।
> 2. जमालुद्दीन पुत्र ग्यासुद्दीन आयु लगभग 65 वर्ष।
> 3. कमालुद्दीन पुत्र ग्यासुद्दीन आयु लगभग 50 वर्ष।
> 4. रहीसुद्दीन पुत्र अज्ञात
> 5. इमरान पुत्र जमालुद्दीन आयु लगभग 36 वर्ष।
> 6. कहीफ पुत्र जमालुद्दीन आयु लगभग 31 वर्ष।
>
> सभी मोहल्ला कतारमल, कस्बा चांदपुर, चानपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आईपीसी की धारा 420, 120ख के तहत अपराध

***अस्वीकरणः***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

जियाउद्दीन पुत्र ग्यासुद्दीन, जमालुद्दीन पुत्र ग्यासुद्दीन, कमालुद्दीन पुत्र ग्यासुद्दीन, रहीसुद्दीन पुत्र अज्ञात, इमरान पुत्र जमालुद्दीन, कहीफ पुत्र जमालुद्दीन के खिलाफ साबित होता है।

इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है और इस माननीय न्यायालय से सभी अभियुक्तों को दंडित करने का अनुरोध किया जा रहा है।"

● इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.05.2021 के एक आदेश द्वारा आदेश में उल्लिखित शर्तों के संदर्भ में अपीलकर्ता को 03.01.2022 तक अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की और कहा कि अपीलकर्ता परिस्थितियों में बदलाव के मामले में यदि इस तरह की सलाह दी जाती है तो वह फिर से उच्च न्यायालय का रूख कर सकता है।

● 23.03.2022 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2235/2022 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किए गए हैं और आरोप पत्र दायर किया गया है।

● इसलिए, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

41. हम पहले ही आईपीसी की धारा 420 के तहत तथ्यों और अपराध के घटकों का उल्लेख कर चुके हैं। प्राथमिकी में किए गए दावों में आरोप लगाया गया है कि आरोपी धोखेबाज हैं जिन्होंने बैनामा (संपत्ति पर अग्रिम धन) लिया है, लेकिन उसके बाद बहाने बना रहे हैं। परिवादी ने आरोपी से उनके घर पर मुलाकात की थी, जिसने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। उन्होंने पैसे मिलने से इनकार किया।

***अस्वीकरण:***
***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

42. हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में, उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/विवेचना अधिकारी/विचारण न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

43. हालाँकि, वर्तमान मामले में आश्चर्य और चिंता की बात यह है कि पुलिस ने शुरू में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, जिसने परिवादी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चांदपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह समाज में एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति है और व्यवसाय में अच्छी तरह से स्थापित है, जबकि आरोपी धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बाद में लिखित परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

44. हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट को इस बात की जांच करने में सतर्क रहने की आवश्यकता है कि क्या मामले के तथ्य दीवानी या आपराधिक कृत्य का खुलासा करते हैं। परेशान करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के प्रयासों को शुरू में ही रोका जाना चाहिए, क्योंकि समन आदेश या यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है।[27] दीवानी विवादों और दावों को निपटाने के किसी भी प्रयास, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक अभियोजन द्वारा दबाव डालने के किसी भी प्रयास की निंदा की जानी चाहिए और उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए।[28]

---

27 दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2023) 3 एस. सी. सी. 423

28 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम एनईपीसी भारत लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एससीसी 736

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

## ग. एसएलपी (आपराधिक) संख्या 9482/2021 से उत्पन्न अपील

● परिवादी और प्रत्यर्थी संख्या2–राजेश वांगवेलु ने थाना अधिकारी, पुलिस स्टेशन अलीगंज, लखनऊ को एक लिखित शिकायत/परिवाद किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 23.12.2019 को दोपहर लगभग 12:15 बजे राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ[29] के दो अधिकारियों, बच्चन सिंह रावत, सुरक्षा अधिकारी और महेंद्र कुमार, डिवीजन क्लर्क/कार्यवाहक ने उन पर हेलमेट और लाठी से हमला किया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दोपहर लगभग 1:12 बजे, बच्चन सिंह रावत और महेंद्र कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत 23.12.2019 दिनांकित प्राथमिकी संख्या 556/2019 दर्ज की गई थी।

● संहिता की धारा 161 के तहत एक बयान भी दर्ज किया गया था, जिसमें राजेश वांगवेलु ने कहा था कि उनके साथ दूसरे राज्य से संबंधित होने के कारण भेदभाव किया गया था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था और अपने अधीनस्थों को कुछ भी गलत नहीं करने दिया था, जिसके कारण बच्चन सिंह रावत और महेंद्र कुमार उनसे नाराज थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता–मैनेजर सिंह भी इस झगड़े के दौरान मौजूद थे। उसने दुर्व्यवहार किया था और कहा– "मारो साले को, बहुत ईमानदार बनता है" यानी, "उसे मारो, वह बहुत ईमानदार बनना चाहता है"। बच्चन सिंह रावत और महेंद्र कुमार ने उसे तब तक मारा था जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वे वहां से चले गए थे।

● एनआरएलसी के महानिदेशक के रूप में मैनेजर सिंह का दावा है कि उन्होंने पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत राजेश वांगवेलु द्वारा की गई कई विसंगतियों और प्रशासनिक त्रुटियों को देखा था।

---

29 संक्षेप में "एनआरएलसी"

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

● राजेश वांगवेलू को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने और उनके जवाब पर विचार करने के बाद, संस्कृति मंत्रालय ने अपीलकर्ता के हस्ताक्षर के तहत 02.08.2019 दिनांकित एक पत्र जारी किया, जिसमें दर्शित किया गया कि राजेश वांगवेलू ने प्रथमदृष्टया 38,338/– रुपये का अस्थायी गबन किया है और जिसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

● एक समिति द्वारा पुस्तकालय को स्थानांतरित करने के निर्णय की भी पुष्टि की गई, जिस पर राजेश वांगवेलु ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। स्थानांतरण के दिन, यानी 23.12.2019 को, राजेश वांगवेलु और अधिकारियों बच्चन सिंह रावत और महेंद्र कुमार के बीच हाथापाई हुई।

● मैनेजर सिंह ने बच्चन सिंह रावत की लिखित संसूचना पर अवलम्ब लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 23.12.2019 को दोपहर लगभग 12 बजे, उन्हें महेंद्र कुमार ने सूचित किया कि राजेश वांगवेलु बिना गेट पास के अपने थैले में कुछ सामान ले गए हैं। इस संबंध में मैनेजर सिंह और सतर्कता अधिकारी को जानकारी दी गई थी। जब बच्चन सिंह रावत ने राजेश वांगवेलू की तलाशी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने एक अन्य कर्मचारी डॉ. नीता निगम की उपस्थिति में बच्चन सिंह रावत और महेंद्र कुमार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उनके चेहरे पर केमिकल छिड़क दिया। राजेश वांगवेलु ने उन पर हमला किया था और फिर मौके से भाग गया था। 23.12.2019 को मैनेजर सिंह ने तदनुसार अलीगंज पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें घटना की सूचना दी गई थी। मैनेजर सिंह ने अपने द्वारा पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को लिखी गई 26.12.2019 दिनांकित संसूचना और अपीलकर्ता मैनेजर सिंह द्वारा उप–निरीक्षक और जांच अधिकारी, पुलिस स्टेशन अलीगंज को 06.01.2020 दिनांकित संसूचना पर भी अवलम्ब लिया है।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

● राजेश वांगवेलु का परीक्षण दोपहर 1:30 बजे किया गया और उनकी 23.12.2019 दिनांकित चिकित्सकीय विधिक रिपोर्ट में छह चोटों का उल्लेख किया गया है जो एक कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई पाई गई हैं। चोटें साधारण थीं। हालाँकि राजेश वांगवेलु ने एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा प्राप्त दिनांक 24.12.2019 की रिपोर्ट पर भी अवलम्ब लिया है, जिसमें कहा गया है कि बाएं हाथ की पांचवीं मेटाकार्पल हड्डी के शीर्ष पर फ्रैक्चर था।

● मैनेजर सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एफआईआर संख्या 556/2019 से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के दिनांक 09.01.2020 के एक आदेश द्वारा उन्हें आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी का लाभ दिया गया था।

● 04.02.2020 को आईपीसी की धारा 308, 325 और 120 ख को जोड़ते हुए और मैनेजर सिंह को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वर्तमान मामले में संहिता की धारा 173 के तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत आरोप पत्र में मामले के संक्षिप्त तथ्यों से संबंधित कॉलम में निम्नानुसार लिखा हुआ है:

> "महोदय, उपरोक्त मामला परिवादी की लिखित रिपोर्ट/परिवाद के आधार पर दर्ज किया गया था और एसआई श्री रामचंद्र मिश्रा द्वारा विवेचना की जा रही थी। 15.01.2020 को मुझे विवेचना प्राप्त हुई है। विवेचना के दौरान, परिवादी के बयान के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 120 ख/308/325 जोड़ी गई और आरोपी मैनेजर सिंह का नाम सामने आया, जिसमें बचन सिंह रावत और महेंद्र कुमार को 24.12.19 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप पत्र दाखिल होने तक, आरोपी मैनेजर सिंह की गिरफ्तारी पर अदालत द्वारा रोक लगा दी गयी है। आरोपी बचन सिंह रावत, महेंद्र कुमार और मैनेजर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/504/506 120 ख/308/325 के

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

तहत अपराध विधिवत साबित हुए हैं। इसलिए आरोपी बचन सिंह रावत, महेंद्र कुमार और मैनेजर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/504/506/120 ख/308/325 के तहत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। सबूत तलब करने और आरोपी को दंडित करने का अनुरोध किया जाता है।"

● मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र पर, दिनांक 10.02.2020 का आदेश पारित किया गया जिसमें दर्ज किया गया कि बचन सिंह रावत, महेंद्र कुमार और मैनेजर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 120 ख, 308, 325 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। आदेश में संज्ञान लेते हुए और समन जारी करते हुए कहा गया है:

"अपराध संख्या 556/2019 धारा 323, 504, 506, 120 ख, 308, 325 आईपीसी, पुलिस स्टेशन अलीगंज के तहत आरोपी बचन सिंह रावत, महेंद्र कुमार और मैनेजर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन के सभी प्रपत्रों की समीक्षा की। संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं। संज्ञान लिया जाता है।

**<u>आदेश</u>**

मामला दर्ज करें। प्रतियाँ तैयार संलग्न हैं। आरोपी बचन सिंह रावत और महेंद्र कुमार जमानत पर बाहर हैं। फाइल पर जमानतनामा संलग्न है और माननीय उच्च न्यायालय, विविध पीठ–262/2020 आदेश दिनांक 09–01–20 के क्रम में आरोप पत्र दायर होने तक आरोपी मैनेजर सिंह की गिरफ्तारी गिरफ्तारी पर रोक थी। अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी किए

*अस्वीकरण:*
***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

गए। कागजी कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि दी जाए। दिनांक 01–03–2020 को उपस्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए।"

● ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा 18.02.2021 को सुनवाई के लिए लिया गया था, जिसमें राजेश वांगवेलु के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है और बच्चन सिंह रावत और महेंद्र कुमार की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दायर किया गया था। मैनेजर सिंह अनुपस्थित थे और उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किए गए थे और उन्हें 04.03.2021 को उपस्थित होना था।

● 04.03.2021 को, मैनेजर सिंह की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि वह व्यक्तिगत कारणों से बाहर गए थे जहां वे बीमार हो गए थे। यह आवेदन विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 04.03.2021 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें दर्ज किया गया था कि मैनेजर सिंह ने तब तक जमानत नहीं ली थी और जमानत प्राप्त करने से पहले व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

● 04.03.2021 दिनांकित एक अन्य आदेश में लिखा है कि मैनेजर सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किए गए थे लेकिन वह अनुपस्थित रहे थे। उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किए गए थे।

● दिनांक 16.03.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मैनेजर सिंह द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

लिए संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

● दिनांक 03.09.2021 को, उच्च न्यायालय ने मैनेजर सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए 10 दिनों का और समय दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक अन्य आवेदन दायर किया।

● 03.12.2021 को, मैनेजर सिंह ने 16.03.2021 के आक्षेपित आदेश की शुद्धता को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की।

● राजेश वांगवेलू ने हमारे समक्ष मैनेजर सिंह, डॉ. नीता निगम, बच्चन सिंह रावत, महेंद्र कुमार द्वारा मेसर्स वी. के. सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पंजाब को दिए गए कुछ अनुबंधों के कारण आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 224/2020 का उल्लेख किया है, जिसमें एक अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा पारित 03.09.2021 के एक कार्यालय आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें प्रबंधक सिंह की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

45. वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें दाखिल आरोप पत्र भी शामिल है, जो हमारी राय में सभी विवरणों और ब्यौरों के बिना है, हम मैनेजर सिंह के खिलाफ समन आदेश को रद्द करते हैं। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तमान निर्णय में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में पूरे मामले का फिर से परीक्षण करेगा और उसके बाद कानून के अनुसार आगे कार्यवाही करेगा।

46. हालाँकि, हम वर्तमान अपील को इस हद तक स्वीकार करेंगे कि मैनेजर सिंह के खिलाफ जारी गैर–जमानती वारंट बरकरार रखने योग्य नहीं हैं और उन्हें रद्द

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

कर दिया जाना चाहिए। यह कानून की एक तय स्थिति है कि गैर–जमानती वारंट नियमित तरीके से जारी नहीं किए जा सकते हैं और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि जनता और राज्य के व्यापक हित के कारण इसकी आवश्यकता न हो। हालांकि गैर–जमानती वारंट जारी करने के लिए दिशानिर्देशों का कोई व्यापक विवरण नहीं है, इस अदालत ने कई मौकों पर कहा है कि गैर–जमानती वारंट तब तक जारी नहीं किए जाने चाहिए, जब तक कि आरोपी पर एक जघन्य अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है और कानून की प्रक्रिया से बचने या सबूतों के साथ छेड़छाड़/नष्ट करने की संभावना नहीं हो।[30]

47. इसके अलावा, यह टिप्पणी कि जमानत प्राप्त करने से पहले व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि संहिता[31] के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति को इस प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद ही यह लागू होता है। इस न्यायालय ने **मेनका संजय गांधी और एक अन्य बनाम रानी जेठमलानी**[32] के मामले में यह माना कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति का प्रयोग उदारता से किया जाना चाहिए, जब तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी छूट की आवश्यकता होती है।[33] धारा 205 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, समन जारी करते समय अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर सकता है और उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। जबकि संहिता के प्रावधानों को संपूर्ण माना जाता है, ऐसे

---

30 इंदर मोहन गोस्वामी और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य (2007) 12 एससीसी 1; विकास बनाम राजस्थान राज्य (2014) 3 एससीसी 321

31 संहिता की धारा 205। संहिता की धारा 317 को भी देखें।

32 [1979] 2 एससीआर 378: (1979) 4 एससीसी 167

33 पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद (2020) 12 एससीसी 695 भी देखें।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

मामले तब उत्पन्न होते हैं जहां संहिता शांत होती है और अदालत को ऐसा आदेश देना होता है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में, आपराधिक अदालत को इस सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया जो न्यायसम्मत और निष्पक्ष है, उसे तब तक अनुमेय माना जाता है, जब तक कि इसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से निषिद्ध नहीं दिखाया जाता है।[34]

48. यह भी निर्देश दिया जाता है कि मैनेजर सिंह को एफआईआर संख्या 556/2019 से उद्भुत आरोप पत्र के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी /विवेचना अधिकारी/विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2020 के अपने आदेश में आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाने के निर्देश को तदनुसार संशोधित किया जाता है। हमने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट आदि जारी करने सहित वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त निर्देश जारी किया है।

## <u>निष्कर्ष</u>

49. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए,

(i) शरीफ अहमद और आदिल द्वारा दायर एसएलपी (आपराधिक) संख्या 1074/2017 से उत्पन्न अपील को स्वीकार किया जाता है और आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है;

(ii) एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5419/2022 से उत्पन्न अपील को इस निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि गिरफ्तार होने की स्थिति में, अपीलकर्ता

---

34 पोपुलर मुथैया बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक (2006) 7 एससीसी 296 और रहीम शेख (1923) 50 कलकत्ता 872, 875 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को भी देखें।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***

इमरान और कमालुद्दीन को पुलिस स्टेशन चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एफआईआर संख्या 519/2019 दिनांक 26.07.2019 धारा 420 और 120 ख आईपीसी के तहत आरोप पत्र के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता इमरान और कमालुद्दीन संहिता की धारा 438(2) में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे।

(iii) मैनेजर सिंह द्वारा दायर एसएलपी (आपराधिक) संख्या 9482/2021 से उत्पन्न अपील को निम्नानुसार आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है–

(क) इस निर्णय में टिप्पणियों के संदर्भ में मजिस्ट्रेट को मामले को वापस करने के आदेश के साथ मैनेजर सिंह के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द किया जाता है;

(ख) मैनेजर सिंह के खिलाफ जारी गैर–जमानती वारंट को रद्द किया जाता है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के अलीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 556/2019 दिनांक 23.12.2019 धारा 323, 504, 506, 120 ख, 308 और 325 आईपीसी के तहत आरोप पत्र के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर, गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/विवेचना अधिकारी/विचारण न्यायालय द्वारा मैनेजर सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

हेडनोट तैयार करने वालाः दिव्या पांडे

वाद का परिणामः

अपीलें निस्तारित।

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।***